न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/407

मिसल नम्बर– 102/2024

1.गोरधनी बाई पत्नी रामलाल उम्र 63 वर्ष
2.रामलाल पुत्र हरगोविन्द उम्र 65 वर्ष निवासीगण सुमन चिल्ड्रन स्कूल के सामने बालाकुण्ड दादाबाड़ी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.अनिल उर्फ मोनू पुत्र रामलाल उम्र 30 वर्ष
2.किरण पत्नी अनिल उर्फ मोनू उम्र 28 वर्ष निवासीगण सुमन चिल्ड्रन स्कूल के सामने बालाकुण्ड दादाबाड़ी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/1/25

उपस्थितिः–

1.श्री हरि सिंह शक्तावत प्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अत्यधिक वरिष्ठजन है जो बालाकुण्ड दादाबाडी कोटा मे स्वंय द्वारा निर्मित मकान में निवासरत है जिसमे प्रार्थीगण का अन्य दो पुत्रो के अलावा अप्रार्थीगण भी निवासरत है। अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण का पुत्र व अप्रार्थी कम 2 पुत्रवधु है। प्रार्थीगण ने मेहनत मजदूरी कर अपने वृद्धावस्था में सुख शान्ति से जीवन यापन करने हेतु रिहाईशी मकान बमुश्किल निर्मित करवाया है जिसमे प्रथम तल पर दो कमरे बरामदा व दो किचन निर्मित है तथा ग्राउण्ड तल पर तीन कमरे, लेट बाथ रसोई आदि निर्मित है जिसमे प्रार्थीगण परिवार सहित निवासरत है। प्रार्थीगण द्वारा निर्मित उक्त मकान के प्रथम तल पर बने दो कमरे बरामदा, दो रसोई अपने दो पुत्र अनिल व सुनिल को निवास करने हेतु दिये थे जिसकी ऐवज मे दोनो पुत्रो द्वारा प्रार्थीगण के भरण पोषण आदि की व्यवस्था हेत् 15,000/– रूपये प्रतिमाह, दिया जाना निश्चित किया था। जिससे ही प्रार्थीगण का जीवन यापन सम्भव हो सकता था लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा छलकपट, धोखाधडी करते हुये प्रार्थीगण के द्वारा निर्मित मकान के एक कमरा रसोई व बरामदे पर निवास हेतु उपयोग कर रहे है जिसकी ऐवज मे प्रार्थीगण को भरण पोषण राशि का भुगतान नही कर रहे है इसके विपरीत प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच व मारपीट की जाती है। दिनाक 23.11.2024 को भी अप्रार्थी क्रम 2 ने लात घूंसो से प्रार्थी क्रम 1 के साथ गंभीर मारपीट की जिसको बचाने हेतु प्रार्थी कम 2 आया तो उसके साथ ही अप्रार्थीगण ने धक्का मुक्की कर गाली गलौच कर बेईज्जत किया जिससे प्रार्थीगण भारी मानसिक तनाव व अवसादग्रस्त है। पूर्व मे भी अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा प्रार्थी क्रम 1 के साथ मारपीट की थी जिससे

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी क्रम 1 का बाया हाथ टूट गया था। अप्रार्थीगण के उपरोक्त कृत्यो के कारण प्रार्थीगण का जीना दूभर हो गया है अप्रार्थीगण ऐन केन प्रकार से प्रार्थीगण को नाजायज परेशान कर मानसिक प्रताडना व शारीरिक कष्ट उत्पन्न कर रहे है जानबूझकर नल का पाईप प्रार्थीगण के निवास वाले परिसर मे डालकर गीला कर देते है, कचरा डाल देते है और प्रार्थीगण को गाली गलौच करते हुये कहते है कि जब तक यह नही मरेंगे तब तक शान्ति नही आवेगी। प्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना दादाबाडी कोटा को भी उक्त घटना की सूचना दी गई लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई और ना ही अप्रार्थीगण को परिसर से बेदखल किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 अपनी माता मीना के बहकावे मे आकर उक्त कृत्य कर रही है जो आये दिन जबरन प्रार्थीगण के परिसर मे आकर निवास करती है। अप्रार्थी क्रम 1 गेलेक्सी ओटो व्हील (किया कार विक्रेता कम्पनी) मे सुपरवाईजर है जो राजनैतिक प्रभाव रखता है जिस कारण पुलिस थाना दादाबाडी भी प्रार्थीगण के साथ हो रहे अत्याचार एंव क्रूरता के विरूद्ध कोई उचित कार्यवाही नही कर रहे है अप्रार्थी क्रम 1 उक्त कम्पनी से लगभग 50 हजार रूपये मासिक आय आर्जित करता है जिससे अप्रार्थीगण ऐशोआराम का जीवन व्यतीत कर रहे है इसके विपरीत प्रार्थीगण वृद्ध होने के कारण दैनिक मजदूरी करने मे असक्षम है व अपना भरण पोषण करने के लिये मजबूर हो रहे है अप्रार्थीगण ने जबरन प्रार्थीगण के आवासीय मकान जिसमे कमरा रसोई बरामदा आदि पर कब्जा कर रखा है जिसे कब्जे मे रखने का कोई विधिक अधिकार अप्रार्थीगण के पास नही है उक्त परिसर से अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने की सुरत मे प्रार्थीगण उक्त परिसर को किराये पर देकर सम्मानजनक अपना भरण पोषण कर सकते है। प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 के वृद्ध माता पिता है जिन्हे अपने पुत्र को हो रही आय से अपने भरण पोषण हेतु भरण पोषण राशि प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है जिसके तहत प्रार्थीगण को 10000/–रूपये मासिक भरण पोषण राशि अप्रार्थी क्रम 1 से दिलाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को तलब कर अप्रार्थीगण के रिहाईशी मकान से बेदखल किये जाने का आदेश फरमावे एंव प्रार्थीगण के भरण पोषण हेतु 10,000/–रूपये मासिक अप्रार्थी क्रम 1 से दिलाये जाने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो उचित हो वह भी दिलायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान सुमन चिल्ड्रन स्कूल के सामने बालाकुण्ड दादाबाड़ी कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी क्रम 1 के अतिरिक्त एक पुत्र और है जिसे प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण का केवल मात्र एक पुत्र अप्रार्थीगण एवं उसके परिवार को ही घर से बेदखल करने की मंशा उचित नही है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा एक पुत्र को घर से बेदखल करने से

उपखण्ड अधिकारी
को

मकान.....

परिवार में और अधिक तनाव व कटुता बढ़ाना मात्र है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थीगण की सेवा सुश्रुषा करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/1/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा